राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 87/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – पिरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस लि0 शाखा भीलवाड़ा	बनाम	1. श्री भगवान सिंह राठौड पुत्र नाहर सिहं राठौड निवासी गौरव टाउनशिप, मकान नंबर 1821, लिमड़ाचौक, गाँव पलसाणा, तहसील पलसाणा, सूरत, गुजरात 2. पिंकी कंवर राठोड पत्नी भगवान सिंह निवासी डी–323, पन्नाधाय सर्कल, आजाद नगर, भीलवाड़ा। 3. रफीक खा पठान निवासी खेडा खुट माता जी के पास, जूनावास, भीलवाड़ा वगैरह
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री राहुल।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, पिरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेंस लि0 शाखा, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 12,96,235/– रूपये का ऋण दिनांक 09.09.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – भगवान सिंह राठोड पुत्र नाहर सिंह राठोड के नाम का प्लाट नं. जे–297, आजाद नगर, कॉलोनी पार्क के पास, भीलवाड़ा में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्ट्स एंड पार्सल, क्षेत्रफल 52.08 वर्ग गज (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 11,91,713/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।